श्री अमृत लाल मीणा, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में मनरेगा के अंतर्गत लाईन विभागों की समन्वय समिति की दिनांक 14.03.13 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- अनुलग्नक के अनुसार ।

सरकार के स्तर से यह संकल्प निर्गत है कि मनरेगा के अंतर्गत सभी लाईन विभाग मनरेगा के अंतर्गत अनुमान्य कार्यों को अपने विभागीय पदाधिकारियों के माध्यम से क्रियान्वित करवाएं ।

2. विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों को यह कहा गया कि वे अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को परामर्श दें कि अधिक से अधिक अनुमान्य कार्य जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक को उनके द्वारा भेजे जाएं । तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत अभिलेख भेजे जाएं और ऐसे कार्यों की सूची अतिशीघ्र मनरेगा आयुक्त को भी भेजी जाय ताकि जिला स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति सुनिश्चित करने हेतु समीक्षा की जा सके । विभागवार समन्वय के निम्नवत बिन्दुओं पर चर्चा की गयी :-

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :- मनरेगा एवं निर्मल भारत अभियान के समन्वित कार्यान्वयन के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कैबिनेट नोट का प्रारूप तैयार किया जाना है । लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए कैबिनेट नोट प्रारूप पर निम्नवत सुझाव दिए गए :-

(i) शौचालय का निर्माण लाभान्वित द्वारा स्वयं किया जाएगा एवं लाभान्वित, संबंधित परिवार की महिला सदस्य होंगी ।

(ii) योजना का कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जाएगा, जिसमें अकुशल मजदूरी का कार्य संबंधित लाभान्वित द्वारा शुरू किया जाएगा ।

(iii) योजना में मनरेगा एवं निर्मल भारत अभियान, दोनों स्रोतों से व्यय होगा, जिसका एक समेकित अभिलेख रखा जाएगा ।

(iv) ग्राम पंचायतें दोनों मदों की योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र अलग-अलग समर्पित करेंगे । योजना का तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मापी, मनरेगा के तकनीकी कर्मी द्वारा किया

जाएगा । समय-समय पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा भी तकनीकी पर्यवेक्षण किया जाएगा ।

(v) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग को समेकित रूप से जिन 634 ग्राम पंचायतों को निर्मल करना है, उन पंचायतों के मुखिया और पंचायत रोजगार सेवकों का कार्यशाला आयोजित करना है । इस हेतु तिथि निर्धारित करके अप्रैल महीने में कार्यशाला शीघ्र आयोजित करायी जाय ।

जल संसाधन विभाग :- जल संसाधन विभाग के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभिन्न कार्य प्रमंडलों द्वारा 400 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाएं जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयकों को दी गयी है । उन्हें परामर्श दिया गया कि वे योजनाओं की सूची आयुक्त मनरेगा को दे दें ताकि समन्वय करके प्रशासनिक स्वीकृति सुनिश्चित की जा सके । यह भी निर्णय लिया गया कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जिलों को इसके लिए पत्र भेजा जाएगा और उन्हें यह परामर्श दिया जाएगा कि वे विहित प्रक्रिया अपनाकर विभिन्न लाईन विभागों द्वारा जो भी योजनाएं तकनीकी स्वीकृति के उपरांत उपलब्ध करायेगी, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए योजनाओं का कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से अप्रैल माह के प्रथम पखवारे में शुरू कर दें । राज्य स्तरीय विडियो कॉफ्रेंस में लाईन विभागों के माध्यम से कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा भी की जाएगी ।

2. जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्यालय में अनुश्रवण के लिए एक मनरेगा सेल गठित किया है, उसके लिए 8.00 लाख रूपये (आठ लाख रूपये) की अधियाचना की है, जिसे शीघ्र विमुक्त करने का निर्णय लिया गया ।

3. यह भी परामर्श दिया गया कि मुख्यालय पर कार्यपालक अभियंताओं की जो बैठकें होती हैं, उनमें मनरेगा की समय-समय पर समीक्षा की जाय ।

वन एवं पर्यावरण विभाग :- विचार-विमर्श के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि मनरेगा के अंतर्गत हुए वृक्षारोपण कार्यों का Documentation वन एवं पर्यावरण विभाग की मार्गदर्शिका के अनुरूप वन एवं पर्यावरण विभाग से करने का अनुरोध किया जाय । इसके लिए जो भी राशि व्यय होगी, वह मनरेगा से उपलब्ध करायी जाएगी । ऐसा करने से तृतीय पक्ष द्वारा जॉच भी हो जाएगी और वैज्ञानिक तरीके से Documentation हो सकेगा ।

2. वन एवं पर्यावरण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग को यह मार्गदर्शन दें कि आने वाले वर्षों में किस प्रकार मनरेगा का वृक्षारोपण करवाया जाय, क्योंकि वन एवं पर्यावरण विभाग इसके लिए सक्षम विभाग है ।

3. वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को यह दिशानिर्देश जारी किया जाना चाहिए कि वे मनरेगा के अंतर्गत अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य लें । इस हेतु प्राक्कलन बनाकर के जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयकों को उपलब्ध कराएं और उसकी एक सूची मनरेगा आयुक्त को उपलब्ध कराएं ।

<u>लघु जल संसाधन विभाग</u> :- लघु जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उन्होंने जिलों को दिशानिर्देश दिया है किन्तु योजना की संख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है । उन्हें मार्गदर्शन दिया गया कि वे कम से कम हर कनीय अभियंता पर एक योजना अवश्य मनरेगा से लेने का प्रयास करें । योजनाएं तकनीकी स्वीकृति के उपरांत जिला कार्यक्रम समन्वयकों को भेजे जाएं ताकि प्रशासनिक तरीके से कार्य प्रारंभ हो सके । इस बात पर जोर दिया गया कि लघु सिंचाई के बहुत सारे कार्य मनरेगा के जल संवर्द्धन कार्यों के श्रेणी में आते हैं। अत: उन्हें व्यापक पैमाने पर कार्यान्वयन कराया जा सकता है ।

<u>ग्रामीण कार्य विभाग</u> :- ग्रामीण कार्य विभाग के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि हर प्रखंड में एक पथ का चयन किया जा रहा है, जिसमें WBM स्टेज तक का कार्य मनरेगा से कराए जाने का प्रयास किया जाएगा । उन्होंने बताया कि दिनांक 15.03.13 को राज्य स्तरीय बैठक में इसकी समीक्षा होनी है । उनसे अनुरोध किया गया कि उन्होंने इस संबंध में जो दिशानिर्देश जारी किए हैं उसकी प्रति इस विभाग को भेज दें ताकि जिलों को अवगत कराया जा सके । यह भी अपेक्षा की गयी कि योजनाओं का चयन शीघ्र होना चाहिए और तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन जिला कार्यक्रम समन्वयकों को यथा संभव 31 मार्च 2013 तक भेज दिया जाय ताकि 10 अप्रैल 2013 तक प्रशासनिक स्वीकृतियॉ दिलवायी जा सके और योजनाओं में कार्य बरसात से पहले सम्पन्न हो सके ।

<u>पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग</u> :- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के नोडल पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यक्रम की जानकारी दी गयी । उन्हें परामर्श दिया गया कि मनरेगा के अंतर्गत लाखों तालाब खुदाये जा रहे हैं । इनमें मत्स्य पालन को Convergence के जरिए बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार मनरेगा के अंतर्गत बड़े पैमाने पर Poultry एवं Goat Shelter का निर्माण होना है ।

इसका भी उनके विभाग की योजनाओं के साथ Convergence किया जा सकता है । इस हेतु वे अपने स्तर से उचित कार्रवाई करें ।

2. यह निर्णय लिया गया कि राज्य स्तरीय यह समन्वय बैठक हर महीने एक बार होनी चाहिए । तदनुसार स्थायी तौर पर यह बैठक हर महीने के दूसरे सप्ताह के मंगलवार को 02:30 बजे से 04:00 बजे अपराह्न तक आयोजित की जाएगी । ग्रामीण विकास विभाग में इसके नोडल पदाधिकारी श्री अतुल कुमार वर्मा, विशेष कार्य पदाधिकारी होंगे ।

3. यह भी निर्णय लिया गया कि सभी विभागों के प्रधान सचिव को एक अर्द्ध सरकारी पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जाय कि वे अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करें कि मनरेगा में अधिक से अधिक योजनाओं का चयन कराएं ताकि स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं के लिए कार्यक्रम समन्वयक को भेजें । योजना में अतिशीघ्र कार्य प्रारंभ करें और शीघ्र ही वे मनरेगा में निधि प्राप्ति के लिए अपना खाता खोलें ।

(अमृत लाल मीणा)
सचिव

ज्ञापांक 93/सी./142672 दिनांक 18.03.13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव / ~~सचिव~~, जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / पर्यावरण एवं वन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव

ज्ञापांक 93/सी./142672 दिनांक 18.03.13

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक 93/सी./142672 दिनांक 18.03.13

प्रतिलिपि :- अपर सचिव / श्री अतुल कुमार वर्मा, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव

बैठक की उपस्थिति विवरणी

क्र0स0	पदाधिकारी का नाम	विभाग का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	राजेन्द्र लाल दास	लघु जल संसाधन विभाग	सहायक अभियंता	[signature] 14.3.13
2	विश्वनाथ चौधरी	ग्रामीण कार्य विभाग	मुख्य अभियंता	[signature] 14/3/13
3	वीर बहादुर सिंह	पर्यावरण एवं वन	सहायक वन संरक्षक	[signature] 14/03/13
4	अशोक कुमार अग्रवाल	जल संसाधन विभाग	सहायक अभियन्ता	[signature] 14/3/13
5	मो० साहुल्लाह जावेद	PHED (BSWSM)	निदेशक, पी.एम.यू.	जावेद 14-3-13
6	B. N. Lal	Animal Husbandry	J D	[signature] 14/3
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				